UPLK010230202024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 18/2025</u>

सरकार **बनाम** रंजीत यादव

अ0सं0 927/2019

धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम

थाना–पारा, लखनऊ।

<u>24–02–2024</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त रंजीत यादव न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

न्यायालय के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरूद्ध 3/25/27 आयुध अधिनियम के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 05–04–2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010230202024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

<u>सत्र वाद सं0 18/2025</u>

सरकार **बनाम** रंजीत यादव

अ0सं0 927/2019
धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम
थाना—पारा, लखनऊ।

<u>आरोप</u>

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त रंजीत यादव को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः—

प्रथमः यह कि दिनांक 28.12.2019, समय 02.40 बजे स्थान सलेमपुर पतौरा, थाना पारा, जनपद लखनऊ से आप अभियुक्त रंजीत यादव से थाना पारा की पुलिस द्वारा आपकी निशानदेही पर एक अद्द तमंचा .315 बोर व एक अद्द जिन्दा कारतूस .315 बोर व एक अद्द खोखा बरामद कराया गया, जिसे अपने पास रखने का आपके पास कोई वैध प्रपत्र नहीं था। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो आयुध अधिनियम की धारा—3/25/27 के अधीन दंडनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 24—02—2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 24—02—2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6127